

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

18/3/2024

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध विवरों परवाली हल्का नंमली लखेरी सिंह का अवलोकन किया गया। परवाली हल्का द्वारा भागदशरि चाहा गया है कि निर्णय के अनुसार शक्ति खासप नम्बर 302 का रकबा 1.19 हे० के स्थान पर 1.86 हे० किया जाता है, किन्तु उपर खतों के रकबे में 0.67 हे० की वृद्धि होगी। किन्तु उपर का हुका रकबा जिस खतों में से कर किया जाया है। इसका उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है। मेरे द्वारा निर्णय व डिप्टी डिप्टी 13/11/99 का अवलोकन किया गया। निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा शक्ति खासप नम्बर 302 का रकबा 1.19 हे० के स्थान पर 1.86 हे० किये जाते का आदेश दिया गया है, किन्तु वहां हुका रकबा जिस खतों में से कर किया जाया है, इसका उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है। यदि कितने अन्य खतों का रकबा कर नहीं किया जायत खासप नम्बर 302 का रकबा 1.19 हे० के स्थान पर 1.86 हे० का दिया जाया है तो राजस्व शासक का रकबा खर जायेगा, जो कि संग्रह नहीं होकर तकनिफी रूप से निर्णय की पालना किया जाया संग्रह नहीं होने से पत्रावली कार्रवाई इसी त्तर पर शेष की जाती है। पत्रावली में तस सुना व दर्प नम्बर से कर देखा जायित दर्शा है।

44

